

**आदेश द्वारा श्री ए०के० जोशी (मा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल (मध्यप्रदेश)**

:: आदेश ::

शहडोल, दिनांक 10.03.2018

क्रमांक/50/म0प्र0 वित्तीय पुस्तिका 1995 के खण्ड दो (वन विभाग) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उत्तर शहडोल से प्राप्त सिंचाई विभाग के ओदारी ड्रागवर्सन बिछली नाला जलाशय एवं समर्थित जलाशय के बदले गैर वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण के अंतर्गत पूर्व ब्यौहारी परिक्षेत्र के राजस्व क्षेत्र खसरा क्रमांक 9/1, 7/1(ख), 11/1, 81/1(ख) में मिश्रित वृक्षारोपण हेतु 22.079 हे० में वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की 07 वर्ष की अवधि हेतु कुल रुपये 86,51,714/- की तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उक्त कार्य पर व्यय संबंधित वित्तीय वर्षों में वास्तविक आवंटन के आधार पर किया जावे।
2. वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र/1712 दिनांक 12.05.11 एवं क्र/5937 दिनांक 16.12.03 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
4. वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें।
5. उपरोक्त कार्य में दर्शाये विभिन्न कार्य समय-समय पर प्रचलित दैनिक दरों तथा जॉबदर्स के आधार पर संपादित किये जायें।
6. कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्राफ पर दिनांक भी अंकित किया जावे।
7. म0प्र0 भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. वृक्षारोपण से संबंधित समस्त अभिलेख, प्लांटेशन जनरल, स्टोर पंजी एवं मेजरमेंट बुक का संधारण किया जावे तथा समय-समय पर अद्यतन किया जावे।
9. वनमंडलाधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्लांटेशन का अवलोकन करने पर पाई गई त्रुटियों का उल्लेख प्लांटेशन जनरल में करना सुनिश्चित करें।
10. उपरोक्त स्वीकृति वर्तमान परियोजना पर आधारित है, मौके पर कार्य में बदलाव होने पर संशोधित प्रोजेक्ट पुनः प्रस्तुत किया जावे तथा संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह स्वीकृत लक्ष्य स्वीकृत पंजी वर्ष 2017-18 के पेज क्रमांक 120 के अनुक्रमांक 220 पर दर्ज की गई है।


(ए०के० जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पू.क्रमांक/व्यय/2018/1825

शहडोल, दिनांक 10.03.2018

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उत्तर शहडोल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अनुमोदित प्रोजेक्ट की 02 प्रति संलग्न है।
3. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शहडोल की ओर सूचनार्थ।


मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)